न्यायलय उपजिलाधिकारी बीकापुर फैजाबाद।

बाबा विश्वनाथ शिवफूल शिक्षण सेवा संस्थान.........................बनाम.......................................सरकार

वाद संख्या– T20140423032396
अन्तर्गत धारा –143 ज0वि0अधि0
ग्राम–लुत्फाबादबछौली
परगना–पश्चिमराठ
तहसील–बीकापुर, जिला –फैजाबाद

निर्णय

यह वाद बाबा विश्वनाथ शिवफूल शिक्षण सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक दिग्विजय सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी ग्राम–मलेथूकनक, परगना–पश्चिमराठ, तहसील–बीकापुर, जनपद–फैजाबाद ने इस आशय से प्रस्तुत किया है कि गाटा संख्या–1250/0.651, 1243क मि0/0.034, 1244 व 1245क मि0/0.279 हे0, 1242/0.134 हे0 कुल चार किता स्थित ग्राम–लुत्फाबादबछौली, परगना–पश्चिमराठ, तहसील–बीकापुर में संक्रमणीय भूमिधर है और उसके आधार पर दर्ज कागजात है । वादी द्वारा उक्त भूमि पर काबिज दखील रहकर 0.300 हे0 क्षेत्रफल पर बिल्डिंग बनी है तथा शेष भाग पर विद्यालय बाउन्ड्री बनी है तथा शेष क्षेत्रफल विद्यालय के नाम दर्ज अभिलेख है, जो मौके पर परती पड़ी है। कृषि कार्य नही होता है। इसलिए व्यवसायिक आकृषिक घोषित करने की याचना की गयी है ।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बीकापुर की आख्या दिनांक 17.08.2014 से विदित है कि गाटा संख्या–1250/0.651, 1243क मि0/0.034, 1244 व 1245क मि0/0.279 हे0, 1242/0.134 हे0 स्थित ग्राम–लुत्फाबादबछौली, परगना–पश्चिमराठ, तहसील–बीकापुर के नाम संकमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज है। तथा वादी द्वारा उक्त भूमि पर काबिज दखील रहकर 0.300 हे0 क्षेत्रफल पर बिल्डिंग बनी है तथा शेष भाग पर विद्यालय बाउन्ड्री बनी है तथा शेष क्षेत्रफल विद्यालय के नाम दर्ज अभिलेख है, जो मौके पर परती पड़ी है। । उक्त स्थल पर कृषि कार्य नही होता , इसलिए व्यवसायिक / आकृषिक घोषित करने की याचना की गयी है ।

मैने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया तथा तहसीलदार बीकापुर की आख्या दिनांक–17.08.2014 से स्पष्ट होता है कि गाटा संख्या–1250/0.651, 1243क मि0/0.034, 1244 व 1245क मि0/0.279 हे0, 1242/0.134 हे0 स्थित ग्राम–लुत्फाबादबछौली का वादी संकमणीय भूमिधर है। उक्त रकबे पर बाबा विश्वनाथ शिवफूल शिक्षण संस्थान स्थित है। वादी अनुसूचित जाति कह नही है। आराजी विकय नही करना है बल्कि बैंक लेन देन हेतु अकृषिक घोषित कराना चाहता है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। इसलिए आकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः तहसीलदार बीकापुर की आख्या स्वीकार करते हुए गाटा संख्या–1250/0.651, 1243क मि0/0.034, 1244 व 1245क मि0/0.279 हे0, 1242/0.134 हे0 स्थित ग्राम–लुत्फाबादबछौली, परगना–पश्चिमराठ, तहसील–बीकापुर को आकृषिक घोषित करते हुए मुताबिक परता लगान से मुक्त किया जाता है। तथा आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की अमल दरामद कर कियान्यवन खतौनी के खाता पर उसके सम्मुख अमलदरामद के स्तम्भ में अंकित हो, तथा वाद में बनने वाली खतौनी पर भी अमलदारमद अंकित होता रहेगा । आदेश की सत्यापित छायाप्रति तहीलदार बीकापुर को अनुपालनार्थ प्रेषित हो । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

28/8/14

उपजिलाधिकारी
बीकापुर फैजाबाद

दिनांक– 28-8-14.

Secretary
Baba Vishwanath Shiv Phool
Shiksha Seva Sansthan